नियम 54 : आदेश पत्र

(1) न्यायपीठ का न्यायालय अधिकारी आदेश पत्र बनाए रखेगा, जिसमें **जीएसटीएटी प्रारूप–02** में निर्दिष्ट सभी जानकारी सम्मिलित होगी, प्रत्येक कार्यवाही में अपील अधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित सभी आदेश सम्मिलित होंगे।

(2) अपील अधिकरण द्वारा पारित सभी आदेश अंग्रेजी में होंगे और उन पर न्यायपीठ का गठन करने वाले अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगेः

परंतु नियमित आदेश, जैसे अभिलेखों को मंगाना, अभिलेखों को प्रस्तुत करना, स्थगन और न्यायाधिकरण के सदस्य द्वारा निर्देशित कोई अन्य आदेश न्यायपीठ के न्यायालय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(3) आदेश पत्र में अपील या याचिका या आवेदन की संदर्भ संख्या, आदेश की तारीख और उसके संक्षिप्त कारण शीर्षक सहित सभी प्रासंगिक विवरण भी सम्मिलित होंगे।